

# भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाडी

क्रमांक: 3340-42/20

दिनांक: 15/12/20

ले-आउट प्लान समिति की 13वी बैठक दिनांक 10.12.2020 का

## कार्यवाही विवरण

उद्योग विभाग (ग्रुप 1) के द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.05.2018 द्वारा गठित भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण की ले-आउट प्लान समिति की 13वी बैठक डी.एम.आई.सी. जयपुर बीडा के आदेश दिनांक 28.11.2018 की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडा भिवाडी की अध्यक्षता में दिनांक 10.12.2020 को प्रातः 11.00 बजे बीडा कार्यालय में आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारीगणों ने भाग लिया:-

- |    |                         |  |            |
|----|-------------------------|--|------------|
| 1. | श्री विनित कुमार नगायच  | अधि० अभियन्ता,<br>बीडा भिवाडी                                  | सदस्य      |
| 2. | श्री दिनेश कुमार सैनी   | पटवारी प्रतिनिधि<br>का० तहसीलदार/<br>भू.अ.निरीक्षक बीडा भिवाडी | सदस्य      |
| 3. | श्री पूर्णा राम बेनीवाल | वरि० नगर नियोजक,<br>बीडा भिवाडी                                | सदस्य सचिव |

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा प्रकरणों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया तदुपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये:

	एल.पी.सी (बीपी) संख्या	13
	दिनांक	11.11.2020
	पृजेण्डा	01
1	विषय	भिवाडी एकीकृत विकास प्राधिकरण (बीडा) क्षेत्र के ग्राम मिलकपुर गुर्जर तह0 तिजारा के खसरा नं0 951/665, 949/738 किता 02 कुल रकबा 10.75 है0 भूमि का भिवाडी में जनहित की योजना थोक फल सब्जी मण्डी की स्थापना हेतु व्यवसायिक हेतु ले-आउट प्लान की स्वीकृति बाबत।
2	आवेदक का नाम	भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाडी
3	भूखण्ड का क्षेत्रफल	10.75 है0
4	भूखण्ड के सामने सडक की चौडाई	18 मी0 (कच्ची + पक्की बर्म मिलाकर)
5	भूखण्ड का उपयोग	मध्यम घनत्व आवासीय (बी.के.टी मास्टर प्लान अनुसार)
6	प्रकरण की स्थिति	भिवाडी एकीकृत विकास प्राधिकरण (बीडा) क्षेत्र के ग्राम मिलकपुर गुर्जर तह0 तिजारा के खसरा नं0 951/665, 949/738 किता 02 कुल रकबा 10.75 है0 भूमि वर्तमान में न्यास भिवाडी हाल बीडा भिवाडी के नाम दर्ज रिकार्ड है। भूमि का भिवाडी-टपूकडा-खुशखेडा मास्टर प्लान 2041 के अनुसार भू-उपयोग मध्यम घनत्व आवासीय प्रस्तावित है। जिसका बीडा की राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 06.11.2020 में व्यवसायिक (थोक फल सब्जी मंडी हेतु) परिवर्तन करने का निर्णय लिया जा चुका है। उक्त भूमि जनहित की योजना थोक फल सब्जी मण्डी हेतु ले-आउट प्लान हेतु आवेदित है।
7	प्रकरण में निर्णयार्थ प्रकरण के तथ्य एवं विचारणीय बिन्दु निम्ननुसार है:-	<p>01. ग्राम मिलकपुर गुर्जर का मूल खसरा नं0 665 कुल रकबा 10.75 है0 में से विभाजन पश्चात नवीन खसरा नं0 951/665 रकबा 10.4354 है0 व 952/665 रकबा 0.1512 है0 953/665 रकबा 0.1634 है0 किता 03 रकबा 10.75 है0 बने है तथा विनिमय (एक्सचेंज) के पश्चात 952/665 व 953/665 किता 02 रकबा 0.3146 है0 के स्थान पर अब खसरा नं0 949/738 रकबा 0.3146 है0 व मूल खसरा का नया नं0 951/665 रकबा 10.43 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 10.75 है0 बीडा के नाम दर्ज हुआ है। रकबा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः अब फल सब्जी मण्डी हेतु आवेदित खसरा नं0 949/738 व 951/665 है। अतः विचारार्थ।</p> <p>02. सन्दर्भित खसरा में से 20000 वर्ग मी0 भूमि जी.एस.एस हेतु जे.वी.वी.एन.एल को दिनांक 06.02.2018 को आवंटित की गई है। शेष भूमि फल सब्जी मंडी स्थापित करने हेतु व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित है। मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित भूमि में से 132 एवं 11 के.वी. विद्युत लाईन एवं एच.टी. पोल स्थित है। अतः विचारार्थ।</p> <p>03. प्रस्तावित भूमि में से गैस पाईप लाईन गुजर रही है जिसके संबंध में गेल के पत्र दिनांक 13.10.2020 के द्वारा राय प्रदान की गई जिसके अनुसार पाईप के दाई (दक्षिण दिशा) तरफ 23 मी0 और बाई (उत्तर दिशा) तरफ 7 मी0 की पट्टी (कुल 30 मी0 पट्टी) को गेल कं आर.ओ.यू. अन्तर्गत आता है। इस भूमि पर कोई भी स्थाई निर्माण, पेडो का प्लांटेशन, कुआ बनाना, वाटर टैंक, खुदाई करना, मिट्टी का हटाना इत्यादि करना प्रतिबंधित है। तथा पाईप लाइन आर.ओ.यू. की सीमा से जहाँ तक संभव हो, अधिक दूरी तक भूमि को खाली रखे। यह पाईप लाइन की सुरक्षा और पब्लिक सुरक्षा के लिए बेहतर होगा। अतः विचारार्थ।</p> <p>04. जल संसाधन विभाग के पत्र दिनांक 13.10.2020 के अनुसार "(01) खसरा नं0 665/872 मे एक एनिकट बना हुआ है इसके ओवरफ्लो का पानी आवेदित खसरा नं0 665 में से 132 के.वी.ए. विद्युत लाईन के नीचे से गुजरता है। अतः इसके पानी के निकास हेतु खसरा नं0 665 में नक्शे में अंकित अनुसार 30 मी0 चौडाई में भूमि यथावत आरक्षित रखी जावे। (2) खसरा नं0 664 जोहड है जिसके एनीकट का भराव क्षेत्र भी है। अतः इसको यथावत रखा जावे (3) खसरा नं0 665 में पहुँच मार्ग खसरा नं0 805 से है जो कि नाला है। अतः खसरा नं0 805 में बिना नाले के बहाव को प्रभावित करते हुये आवागमन किया जा सकता है। (4) आवेदित भूमि की स्थिति जी.टी. शीट पर अंकित कर संलग्न कर दिया गया है। मौका रिपोर्ट के अनुसार सन्दर्भित भूमि के समीप में Anicut है तथा खसरा नं0 805 गै0मु0 नाला भी है। अतः उक्त राय/तथ्यों के क्रम में तथा पहुँच मार्ग के संबंध में विचारार्थ।</p> <p>05. प्रस्तावित भूमि को पहुँच मार्ग ग्राम मिलकपुर से काली खोली जाने वाली सडक से है जो 12 मी0 चौडी ग्रेवल तथा 3 + 3 मी0 कच्ची पक्की बर्म कुल 18 मी0 सडक से है तथा राजस्व रिपोर्ट अनुसार उक्त पहुँच मार्ग एवं आवेदित खसरा नं0 के मध्य खसरा नं0 805 स्थित है जो गै0मु0 नाला दर्ज है। इस सडक पर दोनो तरफ अतिक्रमण है जिसे हटाया जाना प्रस्तावित है। थोक फल सब्जी मण्डी हेतु नगरीय विकास विभाग के नोटीफिकेशन दिनांक 10.08.2020 अनुसार व्यवसायिक उपयोग के योजना/एकल भूखण्ड क्षेत्रफल के अनुपात मे 4 है0 से अधिक क्षेत्रफल हेतु 30 मी0 मार्गाधिकार आवश्यक है। चैक लिस्ट में सूचना अनुसार भूमि को वैकल्पिक पहुँचमार्ग आवेदित भूमि से</p>

*(Handwritten signatures and initials)*



गौधान सडक तक 1 कि. मी. लम्बाई एवं 30 मी० चौड़ाई में बनाया जाना प्रस्तावित है जो आवेदित भूमि को सीधे एस.एच 25 से जोड़ता है। अतः विचारार्थ।

06. प्रकरण को बीडा की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 14.09.2020 में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही के संबंध में रखा गया है। जिसमें प्रकरण को राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक में प्रेषित करने का निर्णय लिया है। प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। बीडा बोर्ड की बैठक दिनांक 16.10.2020 में प्रकरण पारित किया गया है। अतः विचारार्थ।
07. प्रकरण को भू-उपयोग परिवर्तन समिति हेतु राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 05.11.2020 में रखा गया जिसमें भू-उपयोग परिवर्तन मध्यम घनत्व आवासीय से व्यवसायिक (थोक फल सब्जी मंडी) में करने का निर्णय लिया गया है। अतः विचारार्थ।
08. मौका रिपोर्ट एवं खसरा सुपरइम्पोज अनुसार भूमि का क्षेत्रफल 94949.67 वर्ग मी० है जिसमें 20000 वर्ग मी० भूमि जी.एस.एस को आवंटित की जा चुकी है। शेष 74949.67 वर्ग मी० में फल सब्जी मण्डी हेतु उपलब्ध है। अतः विचारार्थ।
09. आवेदित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु दो समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका दिनांक 12.09.2020 एवं सांध्य ज्योति दर्पण दिनांक 12.09.2020 में विज्ञापित प्रकाशन किया गया जिसमें कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः विचारार्थ।
10. प्रस्तावित टेन्टेटिव ले-आउट प्लान अनुसार क्षेत्रफल वार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	दूकान का क्षेत्रफल	संख्या
1.	100 वर्ग मी से अधिक	13
2.	90-100 वर्ग मी तक	13
3.	70-90 वर्ग मी तक	73
4.	50-70 वर्ग मी तक	23
5.	50 वर्ग मी से कम	06
	कुल	128

11. प्रस्तावित भूमि से गुजर रही 132 के.वी विद्युत लाईन हेतु 5731.32 वर्ग मी०, 11 के.वी विद्युत लाईन हेतु 1384.76 वर्ग मी०, गैस पाईप लाईन हेतु 3535.13 वर्ग मी० भूमि आरक्षित रखी गई है।
12. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान में आन्तरिक सडके 18 मी० एवं 30 मी चौड़ाई में दर्शाई गई है।
13. उपरोक्त विवरण अनुसार टेन्टेटिव ले-आउट प्लान विचारार्थ समिति के समक्ष समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णय:-** समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से आवेदित भूमि का ले-आउट प्लान निम्न शर्तों के साथ जारी करने का निर्णय लिया गया:-

01. प्रस्तुत ले-आउट प्लान में आन्तरिक सडके 18 एवं 30 मी० चौड़ाई दर्शाई गई है। जिसे समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
02. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की प्रथम बैठक दिनांक 05.11.2020 में रखा जाकर मध्यम घनत्व आवासीय से व्यावसायिक (थोक फल सब्जी मण्डी हेतु) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन सशर्त किये जाने का निर्णय लिया गया। अतः उक्त बैठक में लिये गये निर्णय की समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
03. प्रश्नगत भूमि से गैस पाईप लाईन गुजर रही है। अतः गेल की राय की अक्षरशः पालना किया जाना बीडा द्वारा सुनिश्चित किया जाना होगा।
04. मूल खसरा नं. 665 में से 20,000 मीटर भूमि जी.एस.एस. हेतु जे.वी.वी.एन.एल. को आवंटित की गई थी तथा मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि में एच.टी. लाईन/एल.टी. लाईन/पोल आदि स्थित है। अतः उक्त से प्रचलित भवन विनियमों के अनुसार सुरक्षित दूरीयों छोड़ी जानी होगी।
05. बीडा द्वारा नियमानुसार वर्षा जल संग्रहण, **water re-cycling**, आदि की पालना प्रचलित भवन विनियम एवं टाउनशिप पॉलिसी के अनुरूप सुनिश्चित करनी होगी।
06. योजना में समस्त आन्तरिक विकास ड्रैनेज, पानी, विद्युत, पार्क, सिवरेज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, वर्षा जल संग्रहण एवं अन्य सुविधाओं का विकास विकासकर्ता को टाउनशिप नीति एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं सम्बंधित विभागों के मापदण्डों के तहत सुनिश्चित करना होगा।
07. प्रस्तावित योजना में सभी पैरामीटर एवं सैटबैक भवन विनियम 2017 के अनुसार रखे जावेंगे तथा टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

	एल.पी.सी	13
	दिनांक	10.12.2020
	एजेण्डा	02
1	विषय	मै0 रेवरेन्स एन्टरपाईजेज एल.एल.पी.ऑफिस -6 डी कॉर्पोरेट टॉवर द्वितीय,नियर जवाहर सर्किल ले.एल.एन.मार्ग जयपुर जरिये नामित पार्टनर अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामजी लाल गुप्ता द्वारा ग्राम ईशवरीसिंहपुरा तह0 बहरोड़ के खसरा 1, 2, 4 से 11, 13, 14, 37 से 45, 45/559, 46/560, 47 से 55, 56/556, 57/557, 58/558, 63 एवं ग्राम फोलादपुर के ख0 नं0 9, 133, 154/2043, 135, 135/2093, 136, 137, 137/2126, 138 से 144 में स्वीकृत आवासीय परियोजना में भूखण्ड सं0 आर.सी-1 क्षेत्रफल 1567.78 वर्ग मी0 भूमि का फुटकर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान स्वीकृति बाबत।
2	आवेदक का नाम	मै0 रेवरेन्स एन्टरपाईजेज एल.एल.पी.
3	भूखण्ड का क्षेत्रफल	1567.78 वर्ग मी0
4	भूखण्ड के सामने सडक की चौड़ाई	18 मी0 (परियोजना के स्वीकृत ले-आउट प्लान अनुसार)
5	भूखण्ड का उपयोग	फुटकर व्यवसायिक
6	स्वामित्व रिपोर्ट	01. निजी खातेदार मै0 रेवरेन्स एन्टरपाईजेज एल.एल.पी.ऑफिस -6 डी कॉर्पोरेट टॉवर द्वितीय,नियर जवाहर सर्किल ले.एल.एन.मार्ग जयपुर जरिये नामित पार्टनर अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामजी लाल गुप्ता द्वारा ग्राम ईशवरीसिंहपुरा तह0 बहरोड़ के खसरा 1, 2, 4 से 11, 13, 14, 37 से 45, 45/559, 46/560, 47 से 55, 56/556, 57/557, 58/558, 63 एवं ग्राम फोलादपुर के ख0 नं0 9, 133, 154/2043, 135, 135/2093, 136, 137, 137/2126, 138 से 144 में स्वीकृत आवासीय परियोजना में फुटकर व्यवसायिक हेतु ले-आउट स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।
7	प्रकरण के तथ्य एवं विचारणीय बिन्दु	01. प्रकरण मै0 रेवरेन्स एन्टरपाईजेज एल.एल.पी.ऑफिस -6 डी कॉर्पोरेट टॉवर द्वितीय,नियर जवाहर सर्किल ले.एल.एन.मार्ग जयपुर जरिये नामित पार्टनर अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामजी लाल गुप्ता द्वारा ग्राम ईशवरीसिंहपुरा तह0 बहरोड़ के खसरा 1, 2, 4 से 11, 13, 14, 37 से 45, 45/559, 46/560, 47 से 55, 56/556, 57/557, 58/558, 63 एवं ग्राम फोलादपुर के ख0 नं0 9, 133, 154/2043, 135, 135/2093, 136, 137, 137/2126, 138 से 144 में स्वीकृत प्लॉटेड आवासीय परियोजना का ले-आउट प्लान स्वीकृत कर जारी किया जा चुका है। 02. वर्तमान में स्वीकृत ले-आउट के भूखण्ड सं0 आर.सी-1 का ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है जिसका योजना के स्वीकृत ले-आउट प्लान अनुसार क्षेत्रफल 1567.78 वर्ग मी0 है परन्तु मौका रिपोर्ट अनुसार 1701.84 वर्ग मी0 है। अर्थात् 134.06 वर्ग मी0 अधिक है। अब आवेदक द्वारा 1567.78 वर्ग मी0 का संशोधित ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है। 03. प्लॉटेड आवासीय योजना के ले-आउट प्लान में 54 प्रतिशत आवासीय, 4 प्रतिशत सामान्य व्यवसायिक, 2 प्रतिशत रिटेल व्यवसायिक स्वीकृत है। अतः अधिकतम अनुज्ञेय विक्रय योग्य क्षेत्रफल उपयोग में लिया जा चुका है। नविवि के नोटीफिकेशन दिनांक 10.08.2020 में टाउनशिप पॉलिसी (10 है0 अधिक) के टेबल बी(1) में इनफार्मल व्यवसायिक बबल निम्नानुसार संशोधन किया गया है। "Out of 6 % commercial areas, The provision of informal shops (10 such shops for every 100 plots) to be made is replaced (20 such shop for every 100 plots) of sizes 6' x 6' to 10' x 10', with shall be used for kiosks, confectionary vegetables seasonal/ morning market etc. such informal shops shall be permissible on internal roads along with minimum provision of parking in front of the informal shops, the percentage of land area



used for shops in the planning shall be considered as a percentage of plotted area (60%). Only Ground & First floor (G+1) construction shall be permitted.” अतः विचारार्थ।

04. आवेदक द्वारा 1701.84 वर्ग मी0 में इन्फॉर्मल व्यवसायिक का ले-आउट प्लान ले-आउट प्लान समिति की 12वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था। जिसे समिति द्वारा 1567.78 वर्ग मी0 का संशोधित ले-आउट प्लान प्राप्त कर पुनः आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। अतः विचारार्थ।
05. आवेदक द्वारा 1567.78 वर्ग मी0 का संशोधित ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है। जिनका विभाजन निम्नानुसार है।


क्र. स.	दुकान	दुकान का क्षेत्रफल	संख्या
1	दुकान	4500	45
2	कॉर्नर दुकान	888.54	12
	कुल	5388.44	57

कुल आच्छादित क्षेत्रफल 31.93 % है।

06. प्रस्तुत ले-आउट प्लान में भूखण्ड के सैट बैक 6, 3, 3, 3 मी0 प्रस्तावित किये गये हैं। अतः विचारार्थ।
07. उक्त भूखण्ड परियोजना के आन्तरिक विकास कार्यों के मददेय रहन रखा गया है जिसे रहन मुक्त नहीं किया गया है। अतः विचारार्थ।


निर्णय:- समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से आवेदित भूखण्ड का ले-आउट प्लान निम्न शर्तों के साथ जारी करने का निर्णय लिया गया:-


01. आवेदक द्वारा 1567.78 वर्ग मी0 का संशोधित ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया है। जिसे समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
02. सैट बैक लीजडीज जारी होने वाली भूखण्डों में भवन विनियम 2017 के अनुसार छोड़े जाने होंगे।
03. चूंकि भूखण्ड आन्तरिक विकास कार्यों के मददे रहन रखा हुआ है अतः रहन मुक्त होने के पश्चात ही ले-आउट प्लान जारी किया जावेगा।





	एल.पी.सी	13
	दिनांक	10.12.2020
	एजेण्डा	03
1	विषय	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामजीलाल यादव तथा श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री रतिराम यादव निवासी नीमराणा द्वारा ग्राम गंगा विशन तह0 बहरोड के खसरा न0 536 क्षेत्रफल 222.74 वर्ग मी0 भूखण्ड का विभाजन के क्रम में।
2	आवेदक का नाम	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामजीलाल यादव तथा श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री रतिराम यादव
3	भूखण्ड का क्षेत्रफल	222.74 वर्ग मी0
4	भूखण्ड के सामने सडक की चौडाई	06 मी0, 06 मी0
5	भूखण्ड का उपयोग	आवासीय
6	प्रकरण में वर्तमान स्थिति	01. उक्त भूखण्ड का कृषि भूमि नियमन पट्टा दिनांक 29.09.2017 को श्री राजेन्द्र सिंह एवं श्री कृष्ण कुमार को 222.74 वर्ग मी0 को जारी किया गया था। श्री कृष्ण कुमार ने उक्त भूखण्ड में से 1/2 हिस्सा श्री शान्ता यादव पत्नी श्री रंगराव यादव को जर्गे रजि0 बयनामा दिनांक 04.06.2020 को विक्रय कर दिया। 02. प्रकरण नाम परिवर्तन बाबत प्राप्त हुआ है। नाम परिवर्तन से पूर्व उपविभाजन किया जाना है।
7	विचारणीय बिन्दु	01. उक्त भूखण्ड का कृषि भूमि नियमन पट्टा दिनांक 29.09.2017 को श्री राजेन्द्र सिंह एवं श्री कृष्ण कुमार को 222.74 वर्ग मी0 को जारी किया गया था। श्री कृष्ण कुमार ने उक्त भूखण्ड में से 1/2 हिस्सा श्री शान्ता यादव पत्नी श्री रंगराव यादव को जर्गे रजि0 बयनामा दिनांक 04.06.2020 को विक्रय कर दिया। अतः विचारार्थ। 02. उक्त भूखण्ड बिना उप विभाजन विक्रय किया गया है अतः प्रथम उप विभाजन किया जाना है। अतः विचारार्थ। 03. पुनर्गठित एवं उपविभाजित नियम अनुसार 1500 वर्ग गज तक के भूखण्ड की स्वीकृति स्थानीय निकाय स्तर पर दी जा सकती है। अतः विचारार्थ। 04. उप विभाजित भू-खण्ड के लिये सैट बैंक एवं अन्य मानदण्ड मूल भूखण्ड मे अनुज्ञेय प्रावधानो अनुसार देय होंगे।

निर्णय:- समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उप विभाजन से संबंधित समस्त प्रकरणो का निस्पादन कार्यालय स्तर पर किया जाना है। ले-आउट प्लान समिति स्तर पर नहीं किया जाना है।

  
श्री दिनेश सैनी (पटवारी)  
प्रतिनिधि का0 तहसीलदार  
/ भू-अभिलेख निरीक्षक  
(सदस्य)

  
श्री विनय कुमार नगायक  
अधिकाधी अभियन्ता  
(सदस्य)

  
श्री पूर्णा राम बेनीवाल  
वरि0 नगर नियोजक  
(सदस्य सचिव)

  
श्री प्रताप सिंह  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
(अध्यक्ष)